[redacted]र से संबंधित परिशिष्ट
आरा. प्र. क्र. 5558
परिशिष्ट 'बासठ'

[redacted]श्न सं. [क्र. 5558]

परिशिष्ट - पक
[27/3/2018]

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 27 जून, 1997

आदेश

क्रमांक एफ. 44-65/85/बी-2/बीस— इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26-12-1996 के द्वारा राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ने समय की दृष्टि से जिला पंचायतों में पदस्थ, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपर संचालक, लोक शिक्षण के अधिकार प्रदत्त कर उन्हें अपर संचालक, लोक शिक्षण घोषित किया है। इसी क्रम में राज्य शासन अधोलिखित प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार भी उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग के संबंध में प्रदत्त करता है:—

(अ) प्रशासनिक अधिकार:—

1. नियुक्ति संबंधी अधिकार— शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तथा नियमों के अंतर्गत निम्नांकित पद जो उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं :—

(क) शिक्षक एवं सहायक शिक्षक।

(ख) अधीनस्थ संस्थाओं एवं कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति जिला पंचायत नगरीय निकाय के प्रस्ताव पर उनकी ओर से शिक्षाकर्मी की नियुक्ति।

2. शासकीय सेवकों के स्थानान्तरण संबंधी अधिकार— जिले के अंतर्गत प्राचार्य, व्याख्याता, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तर।

3. अनुशासनात्मक कार्यवाही— विद्यालयों में कार्यरत शासकीय अमले पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण एवं वर्गीकरण नियम, 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार इस प्रकार रहेंगे:—

स.क्र.	संवर्ग	अधिकारी जिसके द्वारा नियुक्ति की जायेगी	अधिकारी जिसके द्वारा निलम्बन किया जा सकता है	अधिकारी जिसके द्वारा लघु शास्ति अधिरोपित की जा सकती है	अधिकारी जिसके द्वारा दीर्घ शास्ति अधिरोपित की जा सकती है	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	विकास खंड संवर्ग	बी.ई.ओ.	बी.ई.ओ.	बी.ई.ओ.	उपसंचालक	अपर संचालक
2.	जिला स्तर संवर्ग —	उपसंचालक	उपसंचालक	संयुक्त संचालक	अपर संचालक	संचालक
3.	संभाग स्तर संवर्ग	संयुक्त संचालक	संयुक्त संचालक	संयुक्त संचालक	अपर संचालक	आयुक्त
4.	राज्य स्तर संवर्ग राजपत्रित श्रेणी-II	आयुक्त	संचालक	संचालक	आयुक्त	शासन
5.	राजपत्रित श्रेणी-I	शासन	आयुक्त	शासन	शासन	राज्यपाल

[illegible] अधिकारी,
अनुभाग प्रदेश शासन,
[illegible]